

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर  
(आर.ए.एस.)

कदमा नम्बर 238/2017  
सी.ई.एम. 2021/146

दायर दिनांक-28.12.2017

1. भंवर लाल
  2. सागरमल
  3. जगुराम
  4. किशनलाल
  5. छोटूराम
  6. रणजीत
  7. चन्दी पत्नी स्वर्गीय चन्द्राराम जाति धानका निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
  8. सुभाष पुत्र स्वर्गीय मोतीलाल जाति धानका निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
- वादीगण

बनाम

9. भागीरथ
  10. ओमप्रकाश
  11. महावीर
  - 4/1 भंवरलाल
  - 4/2 भादर
  - 4/3 फूलचन्द
  5. रामोतार पुत्र स्व० हनुमान जाति धानका निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
  6. गीता देवी
  7. छोटी देवी
  8. कौशल्या
  9. जमना देवी पत्नी स्व० लालचन्द जाति धानका निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
  10. पप्पूराम
  11. बाबूलाल
  12. मनोहर लाल
  13. संतोष देवी
  14. माया देवी
  15. आंचु देवी
  16. खेता पुत्र स्व. सोहनलाल जाति धानका निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
  17. मन्जू
  18. शारदा
  19. लिछ्मा
  20. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
- प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री शिवकुमार बंका

वकील प्रतिवादीगण :- एक-पक्षीय

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकॉर्ड व विभाजन  
अन्तर्गत धारा 88, 136, 53, 188 राज.काश्त.अधि. 1955

--: निर्णय :-

दिनांक - 28.12.2022

वाद वादी दिनांक 20-09-2021 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को भोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़



दिनांक 03.02.2022 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने में वकील पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। म खिरोड़ स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 812, 763, 2577/763, 814, 815, 816, 803 कुल किता 07 भूमि में निम्न कार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा ( हैक्टर में )	भूमि किस्म
1	भंवरलाल, सागरमल, जगुराम, किशनलाल, छोटूराम, रणजीत पुत्रगण चन्द्राराम, चन्द्र पत्नी स्व. चन्द्राराम, सुभाष पुत्र मोती लाल हि.ब.हि.	803	1.9500	बारानी II
		816	0.8600	बारानी I
		2577 / 763 / 2	0.2300	बारानी II
		2577 / 763 / 3	0.0200	बारानी II
		4	3.0600	
2	भागीरथ पिता नारायण राम जाति धानका साकिन देह खातेदार	812 / 2	0.3100	बारानी II
		2577 / 763 / 1	0.5200	बारानी II
		2	0.8350	
3	ओमप्रकाश पुत्र नारायणराम जाति धानका साकिन देह खातेदार	812 / 1	0.8300	बारानी II
		1	0.8350	
4	महावीर पुत्र नारायणराम जाति धानका साकिन देह खातेदार	815	0.8000	बारानी I
		1	0.8000	
5	ओमप्रकाश हिस्सा 0.1000 हैक्टर महावीर 0.1300 हैक्टर, भागीरथ हिस्सा 0.1000 हैक्टर जाति धानका साकिन देह खातेदार	814 / 3	0.3300	बारानी I
		1	0.3300	
6	भंवरलाल, भादर, फूलचन्द पिता कुरडाराम हिस्सा 1/7, रामोतार पुत्र हनुमान हिस्सा 1/7, पप्पूराम, बाबूलाल, मनोहर लाल पिता लालचन्द हिस्सा 1/7, संतोष देवी, माया देवी, आंचू देवी पुत्रीया लालचन्द हिस्सा 1/7, खेता पुत्र सोहनलाल, मन्जू, शारदा, लिछमा पुत्रीया सोहनलाल हिस्सा 1/7, गीता देवी, छोटी, कौशिल्या पुत्रीया हनुमान हिस्सा 1/7 जाति धानका साकिन देह खातेदार	814 / 1	0.8000	बारानी I
		1	0.8000	
7	भागीरथ, ओमप्रकाश, महावीर पिता नारायणराम जाति धानका साकिन देह खातेदार	763	0.0250	बारानी II
		812 / 3	0.0550	बारानी II
		814 / 2	0.0700	बारानी I
		3	0.1500	

हसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पचा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21-02-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक सल्लेक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) नवलगढ

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
पीठासीन अधिकारी :- दमयंती कंवर  
(आर.ए.एस.),

क्र.सं. नम्बर 238/2017

सी.ई.एम. 2021/146

दावा : बंटवारा जमीन

( भंवरलाल आदि बनाम भागीरथ आदि )

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21-02-2022 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम खिरोड़ स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 812, 763, 2577/763, 814, 815, 816, 803 कुल भूमि निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा ( हैक्टर में )	भूमि किस्म
1	भंवरलाल, सागरमल, जगुराम, किशनलाल, छोटूराम, रणजीत पुत्रगण चन्द्राराम, चन्द्र पत्नी स्व. चन्द्राराम, सुभाष पुत्र मोती लाल हि.ब.हि.	803	1.9500	बारानी II
		816	0.8600	बारानी I
		2577 / 763 / 2	0.2300	बारानी II
		2577 / 763 / 3	0.0200	बारानी II
		4	3.0600	
2	भागीरथ पिता नारायण राम जाति धानका साकिन देह खातेदार	812/2	0.3100	बारानी II
		2577 / 763 / 1	0.5200	बारानी II
		2	0.8350	
3	ओमप्रकाश पुत्र नारायणराम जाति धानका साकिन देह खातेदार	812/1	0.8300	बारानी II
		1	0.8350	
4	महावीर पुत्र नारायणराम जाति धानका साकिन देह खातेदार	815	0.8000	बारानी I
		1	0.8000	
5	ओमप्रकाश हिस्सा 0.1000 हैक्टर महावीर 0.1300 हैक्टर, भागीरथ हिस्सा 0.1000 हैक्टर जाति धानका साकिन देह खातेदार	814/3	0.3300	बारानी I
		1	0.3300	
6	भंवरलाल, भादर, फूलचन्द पिता कुरडाराम हिस्सा 1/7, रामोतार पुत्र हनुमान हिस्सा 1/7, पप्पूराम, बाबूलाल, मनोहर लाल पिता लालचन्द हिस्सा 1/7, संतोष देवी, माया देवी, आंचू देवी पुत्रीया लालचन्द हिस्सा 1/7, खेता पुत्र सोहनलाल, मन्जू शारदा, लिछमा पुत्रीया सोहनलाल हिस्सा 1/7, गीता देवी, छोटी, कौशिल्या पुत्रीया हनुमान हिस्सा 1/7 जाति धानका साकिन देह खातेदार	814/1	0.8000	बारानी I
		1	0.8000	
7	भागीरथ, ओमप्रकाश, महावीर पिता नारायणराम जाति धानका साकिन देह खातेदार	763	0.0250	बारानी II
		812/3	0.0550	बारानी II
		814/2	0.0700	बारानी I
		3	0.1500	

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बशरख्स मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21-02-2022 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला अन्तर्गत  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

कार्यालय तहसीलदार (भू. अ.) नवलगाढ

बीडर (20)  
कार्यालय

क्रमांक/भू.अ./238

दिनांक 3.2.22

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(F T) नवलगाढ

विषय:— मु. नं. 238/19 उन्वान ~~खिखिह~~ बगाम भागीधर  
निवासी रिवरोड का विभाजन प्रस्ताव ~~समर्थ~~ जाति जाट  
मसोदप

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय  
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फार-ट ट्रेड)  
नवलगाढ मु. नं. 238/19 उन्वान ~~खिखिह~~ बगाम ~~शक्ति~~ भाग  
की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर ~~सेवाम~~ सादर  
प्रेषित है।

संलग्न:— विभाजन प्रस्ताव की दो प्रति भय नमूना

तहसीलदार (भू. अ.)  
नवलगाढ

मौज रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव

(2)

ज्वाला सहाय मीणा तहसीलदार नवलगाँव न्यायालय सहाय कलेक्टर अधिकारी नवलगाँव के आदेश क्रमांक दिनांक 12/11/22 समझ बने प्रारंभिक खसरा न. 812, 763,  $\frac{2577}{763}$ , 814, 815, 816, 803 के ग्राम खिरीड प.म खिरीड पर श्री बाबू लाल कल्याण प्र. भक्ति हल बसाका के साथ मौजे पर पहुंचा।

न्यायालय सहाय कलेक्टर अधिकारी नवलगाँव के विचारधीन प्रकरण सं. के समस्त पक्षकारी की तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक दिनांक द्वारा जारी किए गये थे। जिनकी तामिल विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारी से मौजे पर निम्न पक्षकार उपस्थिति थी :

क्र.सं	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वारी/प्रतिवारी
1	भवरलाल	चन्द्राधर	62	धानका	वाडी
2	सागरमल	चन्द्राधर	60	धानका	वाडी
3	<del>सुन्दरलाल</del>	<del>चन्द्राधर</del>	<del>58</del>	<del>धानका</del>	<del>वाडी</del>
4	किशन लाल	चन्द्राधर	50	धानका	वाडी
5	घोडूराम	चन्द्राधर	48	धानका	वाडी
6	रवगीत	चन्द्राधर	45	धानका	वाडी
7	भागरीध	नारायण राम	57	धानका	प्रतिवारी
8	अभिप्रकाश	नारायण राम	55	धानका	प्रतिवारी
9	महावीर	नारायण राम	53	धानका	प्रतिवारी
10	रामवतार	हनुमान	60	धानका	प्रतिवारी
11	जमना देवी	पति लालचन्द	70	धानका	प्रतिवारी
12	पशूराम	लालचन्द	50	धानका	प्रतिवारी
13	मनोहर लाल	लालचन्द	48	धानका	प्रतिवारी

उपरोक्त पक्षकारी की उपस्थिति से भूमि का मुआयना मौजा किया गया एवं राजस्वपान कार्रवाई (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 के अन्तर्गत नियम पक्षक प्रकाश से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

12/11/22  
पं० मीणा

  
मीणा

क्र.सं.	नामस्वतंत्रदाता	रक.न	रकबा	किस्म	प्रमाण
1	भवरलाल, सागरमल, जगुशम, किशन लाल, धोडूण रणजीत पुत्र चन्द्राराम चन्डी पहिन स्व. चन्द्राराम सुभाष पु. मीनी लाल हि. ब. हि.	803	1.9500	वा II	
		816	0.8600	वा I	
		$\frac{2577}{763}$	0.2300	वा II	
		$\frac{2577}{763}$	0.0200	वा II	
2	भागरीष पि. नारायणराम जाति धानका सा. देह स्वतंत्रदाता	4	3.0600		
3	ओमप्रकाश पु. नारायणराम जाति धानका सा. देह स्वतंत्रदाता	$\frac{812}{2}$	0.3100	वा II	
		$\frac{2577}{763}$	0.5250	वा II	
4	महावीर पु. नारायणराम जाति धानका सा. देह स्वतंत्रदाता	2	0.8350	वा II	
		$\frac{812}{1}$	0.8350	वा II	
5	ओमप्रकाश हि. 0.1000 हे. महावीर 0.1300 हि. दे. भागरीष हि. 0.1000 हे. जाति धानका सा. देह स्वतंत्रदाता	1	0.8350	वा II	
		815	0.8000	वा I	
6	भवरलाल भादर, फूलचंद पि. कुरडा राम हि. 1/7 रामोतार पु. हनुमान हि. 1/7 पणू राम बाबूलाल मनीहर लाल पि. लालचंद हि. 1/4 सन्तोष देवी माया देवी, भांचू देवी पुत्रिया लालचंद हि. 1/7 खैरा पु. सोहन लाल मन्चू शारदा लिखामा पुत्रिका सोहन लाल हि. 1/7 गीता देवी, चोटी कोशल्या, पुत्रिया हनुमान हि. 1/7 जाति धानका सा. देह स्वतंत्रदाता	1	0.8000	वा I	
		$\frac{814}{1}$	0.8000	वा I	
7	भागरीष, ओमप्रकाश महावीर पि. नारायणराम जाति धानका सा. देह स्वतंत्रदाता	1	0.8000	वा I	
		763	0.0250	वा II	
		$\frac{812}{3}$	0.0550	वा II	
		$\frac{814}{2}$	0.0700	वा I	
		3	0.1500		











सहायक कलकत्ता एवं चम्पारण कलकत्ता  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़

संसिद्धार (भू. अ. 1)  
नवलगढ़

वाम  
पु. 24/10/20

*[Signature]*

उक्त विभाजन प्रस्ताव प्रौढ पर उपस्थिति पक्षकारी और प्रौढ बिरानी की पदका सुनाई गई। प्रौढ पर उपस्थिति पक्षकारी ने पद, सुन, एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क्र.सं	नाम	पिता का नाम	जाते	हस्ताक्षर	बाड़ी/शते
1	सागरमल	चन्द्राराम	धानका		वाडी
2	शंकरलाल	चन्द्राराम	धानका		वाडी
3	किशनलाल	चन्द्राराम	धानका		वाडी
4	भागवीधर	नारायणराव	धानका		प्रतिवाडी
5	श्रीधरप्रकाश	नारायणराव	धानका		प्रतिवाडी
6	मनोहर लाल	लालचन्द	धानका		प्रतिवाडी
7	महावीर	नारायणराव	धानका		प्रतिवाडी
8	जमना	परिम लालचन्द	धानका		प्रतिवाडी
9	छोटू राम	चन्द्राराम	धानका		
10	पपूराम	लालचन्द	धानका		

12/04/22  
[Signature]

[Signature]



निम्न पक्षकारी ने विभाजन प्रस्ताव पढ व सुनकर समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क्र.सं	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वाडी/प्रतिवाडी
--------	-----	-------------	------	------	----------------

मौत पर अन्य मौतबिशन को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढकर सुचारु कार्य और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क्र.सं	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता हस्ताक्षर/मौ. नं.
1	जैसराज	गंगा राम	38	धानका	रिपोर्ट नं. 7568412669 वाडी नं. 05 जैसराज जाति मधुली
2	महावीर	उ० मन्वहाराम	62	धानका	रिपोर्ट नं. 9807896875
3	अशोककुमारकुलडी	श्रीश्रीमप्रकाशकुलडी	30	रैगाट	रिपोर्ट नं. 7891123202
4	विमलेंद्रादिह	धुरमलपद	30	म० व०	गदवासी GID/9887785725

इस प्रकार आज दिनांक 12/11/22 को मर मौत रिपोर्ट तैयार की गई.

हस्ताक्षर  
पटवानी


हस्ताक्षर  
3-अ.मि

हस्ताक्षर  
तहसीलदार (मू.अ.)  
बबलपठ

सहायक कलक्टर एवं वा. पिल्लक  
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

नवलपरासी जिला नवलगाउँ  
 पञ्च स्थित  
 तहसील नवलगाउँ  
 जिला मुमुर्ख

(25)



राजकीय काम हेतु मिःसुल गाउँ

दिनांक  
 12/01/22  
 पञ्च नवलगाउँ

*Signature*  
 मुख्यालय (मु. नवलगाउँ)

*Signature*  
 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक  
 कमिन्टेड (जा.स.दे.क) नवलगाउँ